22/11/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट DR KDR प्राप्त हुई शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/11/22 को पेश हो

28/11/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07/12/22 को पेश हो

7/12/22 वादी अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। यथा डिक्री इस आशय का जारी हो। यथा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 115/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वीरेवालाकलां तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 08.06.2022

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 07.12.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 81/77 के मुरब्बा नम्बर 159,160 की कुल 5.083 हेक्टैयर भूमि में वादिया के पति बलविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के नाम 0.254 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। वादिया के पति बलविन्द्र सिंह की दिनांक 05.01.2015 को मृत्यू हो जाने के कारण बलविन्द्र सिंह के नाम दर्ज उक्त रकबा जरिये विरास्तन इन्तकाल 803 बलविन्द्र सिंह के वारिसान के नाम दर्ज हुआ,। उक्त विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से वादिया के पति का नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह के स्थान पर हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह दर्ज हो गया तथा वर्तमान चालू जमाबन्दी चक 1 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 27/31 के मुरब्बा नम्बर 159,160 में भी वादिया का नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह दर्ज है। उक्त इन्तकाल संख्या 803 दर्ज करते समय सहवन से वादिया का नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह दर्ज हुआ है। जबकि वादिया का सही नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह है। तहसीलदार सादक पंजाब द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी वादिया के पति का नाम बलविन्द्र सिंह दर्ज है तथा वादिया के आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी वादिया का नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह है। वादिया को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। उक्त त्रुटि एक टंकनीय त्रुटि है जिसे वादिया दुरुस्त करवा पाने की अधिकारी है एंव वादिया राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाने के लिए दावा ला पाने की अधिकारी है। राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। उक्त संशोधन के लिए वादी ने तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर व अन्य राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय की डिक्री हेतु घोषणा करवाने हेतु हिदायत दी। इस कारण वाद-हेतु की उत्पत्ति हुई है। वाद पत्र मियाद के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 27/31 के मुरब्बा नम्बर 159, 160 में क्रम संख्या 30 पर दर्ज वादिया का नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह के स्थान पर हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5984 दिनांक 16.11.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 1 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 में संयुक्त खाते में बलविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के नाम 1.271 हेक्टैयर का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। बलविन्द्र सिंह की मृत्यू उपरान्त जरिये इन्तकाल 803 दिनांक 05.08.2015 विरासतन इन्तकाल हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह, कुलदीप सिंह, कुलवीर सिंह पिसरान बलविन्द्र सिंह हर तीन बहिब 0.254 हेक्टैयर शेष खाता बदस्तूर जमाबन्दी तस्दीक हुआ और इसी अनुसार ही आदिनांक तक चला आ रहा है। इन्तकाल दर्ज करते समय तत्समय हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दर्ज होना चाहिए था। परन्तु गलती से मृतक के नाम के स्थान पर मृतक के पिता का नाम अंकित हो गया। जिससे हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह दर्ज हो गया। अतः हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2067-70 के खाता संख्या 81/77 की प्रति, चक 1 एफ सी के इन्तकाल सख्या 803 की प्रमाणित प्रति, चक 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वतः 2075-78 के खाता संख्या 27/31 की प्रति, वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बलविन्द्र सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया द्वारा चक 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 27/31 में क्रम संख्या 30 पर अंकित नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह के स्थान पर हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह अंकित करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड,, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड में नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 1 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 में संयुक्त खाते में बलविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के नाम 1.271 हेक्टैयर का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। बलविन्द्र सिंह की मृत्यू उपरान्त जरिये इन्तकाल 803 दिनांक 05.08.2015 विरासतन इन्तकाल हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह, कुलदीप सिंह, कुलवीर सिंह पिसरान बलविन्द्र सिंह हर तीन बहिब 0.254 हेक्टैयर शेष खाता बदस्तूर जमाबन्दी तस्दीक हुआ और इसी अनुसार ही आदिनांक तक चला आ रहा है। इन्तकाल दर्ज करते समय तत्समय हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दर्ज होना चाहिए था। परन्तु गलती से मृतक के नाम के स्थान पर मृतक के पिता का नाम अंकित हो गया। जिससे हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह दर्ज हो गया। अतः हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दुरूस्त किया जाना उचित है।_अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधि[illegible] भली-भांति स[illegible] से स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ सी, पटवार [illegible] जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता [illegible] 27/31 में क्रम संख्या 30 पर अंकित नाम हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह के स्थान पर हरजिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 07.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:02
Reason: SelfAttested